

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-9) विभाग

क्रमांक प.33 (2)गृह-9 / 2019

जयपुर दिनांक: 02.05.2020

आदेश

विषय: मोडिफाईड लॉकडाउन (मई 4–17, 2020) के क्रियान्वयन आदेश।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40-3/2020-डीएम-।(ए) दिनांक 01.05.2020 द्वारा सम्पूर्ण देश में लागू किया गया लॉकडाउन दिनांक 17.05.2020 तक आगे बढ़ा दिया गया है। तदनुसार भारत सरकार, गृह मंत्रालय के आदेश क्रमांक 40-3/2020-डीएम-।(ए) द्वारा जारी की गयी गाईड लाईन्स के अनुसरण में राजस्थान राज्य में दिनांक 04.05.2020 से दिनांक 17.05.2020 तक लॉकडाउन की क्रियान्वयन के लिए निम्नानुसार गाईड लाईन्स जारी की जाती है:-

ए. प्रतिबन्ध (Restrictions) :

जोन वर्गीकरण, जैसे कि, रेड, औरेंज या ग्रीन का ध्यान रखे बिना सम्पूर्ण राज्य में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जारी रहेंगे :—

(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत :

- (a) जब तक कि इन गाईड लाईन्स में विशिष्ट रूप से, और हद तक उपबंधित नहीं किया गया हो, जैसे कि बी 6 एवं 7, सार्वजनिक स्थानों पर 5 व्यक्तियों के आवगमन या एकत्रित होने पर प्रतिबन्ध।
- (b) सांय 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।
आपात स्थिति या आवश्यक मांग होने पर जिला प्रशासन या नजदीकी पुलिस स्टेशन से पास प्राप्त किया जायेगा। यह ड्यूटी पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों या चिकित्सकों/चिकित्सा और पैरा मेडीकल स्टाफ पर लागू नहीं होगा जिनके लिए अधिकारिक पहचान पत्र पर्याप्त होगा।
- (c) सभी कार्यस्थल (दुकानें/कार्यालय/कारखाना आदि) जब तक कि इस संबंध में जिला प्रशासन से विशिष्ट स्वीकृति प्राप्त नहीं कर ली गयी हो, सांय 6 बजे या इससे पूर्व बंद कर दिये जायें ताकि इनका स्टाफ एवं अन्य व्यक्ति सांय 7 बजे तक अपने घर पहुंच जायें।

(2) निषिद्ध गतिविधियाँ (Prohibited Activities):

- सम्पूर्ण राज्य में निम्नलिखित गतिविधियाँ निषिद्ध रहेगी:
- i. चिकित्सा सेवाओं/एयर एम्बुलेन्स/सुरक्षा भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा अनुमत उद्देश्यों को छोड़कर सभी घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्रियों की यात्रा।
 - ii. भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा दी गयी अनुमति के अतिरिक्त रेल के द्वारा सभी यात्री आवागमन।
 - iii. भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा अनुमत उद्देश्यों के अतिरिक्त, सार्वजनिक परिवहन के लिए अन्तर्राज्यीय बसों का आवागमन।
 - iv. मैट्रो रेल सेवाएँ :
 - v. भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा अनुमत गतिविधियों या चिकित्सीय कारणों को छोड़कर व्यक्तियों का अन्तर्राज्यीय आवागमन।
 - vi. सभी विद्यालय/महाविद्यालय/शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/कोचिंग संस्थान आदि बन्द रहेंगे। तथापि ऑनलाईन अध्यापन/कक्षाओं तथा डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति रहेगी।
 - vii. स्वास्थ्य, पुलिस, सरकारी कर्मचारियों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, फंसे हुए व्यक्तियों सहित पर्यटकों के आवास के लिये तथा क्वारेन्टीन सुविधा के लिये उपयोग में ली गयी आतिथ्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी आतिथ्य सेवाएँ।
 - viii. सभी सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायाम शालाएँ, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स, बार, ऑडिटोरियम एवं एसेम्बिली हॉल और समान प्रकृति के स्थान बन्द रहेंगे।
 - ix. सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य समारोह।
 - x. सभी धार्मिक स्थल/पूजा स्थल जनता के लिये बन्द रहेंगे। सभी धार्मिक सम्मेलन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
 - xi. Containments Zone / कर्फ्यू क्षेत्र में निजी रोगी विभाग (ओपीडी) एवं चिकित्सा क्लिनिक्स अनुमति प्राप्त कर खोली जायेंगी, जो सामाजिक दूरी मापदण्ड तथा अन्य सुरक्षा सावधानियों की अनुपालना करने के आधार पर दी जायेगी। सभी सरकारी चिकित्सा प्रतिष्ठानों पर भी यह सावधानियां बाध्यकारी होगी।

बी. सामान्य सावधानियां (Common Prescriptions) :

सभी जिलों एवं क्षेत्रों में निम्नांकित मानक सावधानियां एवं प्रतिबन्ध लागू रहेंगे :

सार्वजनिक स्थल (Public Spaces) :

1. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सःरुगणता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएँ और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे आवश्यक आवशकताओं एवं स्वास्थ्य आवशकताओं की पूर्ति

के अतिरिक्त घर पर ही रहेंगे। ऐसी स्थिति में, ऐसे व्यक्तियों से स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करेंगे।

2. सभी सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे पर मास्क पहनना आवश्यक होगा।
3. कोई भी दुकानदार ऐसे व्यक्ति को जिसने मास्क नहीं पहना हो, कोई सामान नहीं बेचेगा।
4. सार्वजनिक स्थान, कार्य स्थलों एवं परिवहन के प्रभारी सभी व्यक्ति सामाजिक दूरी (कम से कम 6 फिट) की पालना सुनिश्चित करेंगे।
5. कोई संगठन/सार्वजनिक स्थल का प्रभारी 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों को एकत्रित नहीं होने देगा।
6. शादी से संबंधित समारोह में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी तथा 50 से अधिक अतिथियों को अनुमति नहीं दी जायेगी।
7. अन्तिम संस्कार / अन्तिम विधियों से संबंधित अवसर पर समाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी और 20 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जायेगी।
8. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने से दण्डनीय होगा।
9. पान, गुटका, तम्बाकू आदि के विक्रय पर प्रतिबंध रहेगा।
10. शराब विक्रय करने की दुकानों में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी तथा एक समय पर एक दुकान में 5 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं होंगे।
11. सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन पूर्णतः वर्जित होगा।

कार्य स्थल (Work Spaces)

12. सभी कार्य स्थलों पर चेहरे पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा तथा पर्याप्त मात्रा में फेस कवर की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।
13. सभी कार्य स्थलों के प्रभारी व्यक्ति, कार्य स्थल में तथा कम्पनी परिवहन दोनों में सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करेंगे।
14. कार्य स्थलों पर पारियों के मध्य तथा कार्मिकों के लंच ब्रेक में अन्तराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जायेगा।
15. सभी प्रवेश और निकास बिन्दुओं और सामान्य क्षेत्रों में थर्मल स्कैनिंग, हैण्डवॉश और सेनेटाईजर के प्रावधान किये जायेंगे। कार्य स्थलों पर पर्याप्त मात्रा में हैण्डवाश और सेनेटाईजर की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।
16. सम्पूर्ण कार्य स्थलों में शिफ्टों के मध्य सहित आम सुविधाओं और मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे दरवाजे के हैण्डल आदि का बार-बार सेनेटाईजेशन करना सुनिश्चित किया जायेगा।
17. सभी कर्मचारियों के लिये आरोग्य सेतु का उपयोग अनिवार्य होगा तथा इसकी पालना सुनिश्चित करने के लिये संगठन का अध्यक्ष उत्तरदायी होगा।
18. बड़ी भौतिक सभाओं से बचना चाहिए।
19. श्रेष्ठ स्वच्छता विधियों पर सघन संचार और प्रशिक्षण दिया जायेगा।

जिला मजिस्ट्रेट्स आपदा प्रबन्ध अधिनियम, 2005 / राजस्थान महामारी रोग अध्यादेश, 2020 में निर्धारित जुर्माना और दण्डनात्मक कार्यवाही के माध्यम से उपरोक्त वर्णित प्रतिबंधों एवं सामान्य सावधानियों को लागू करेंगे।

सी. जिलों का “जोन” में वर्गीकरण (Classification of Districts in “Zones”)

1. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों और गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाईड लाईन्स के आधार पर राज्य में जिलों को जोखिम प्रोफाईलिंग के आधार पर तीन “जोनों” यथा—रेड जोन, ऑरेन्ज जोन एवं ग्रीन जोन में वर्गीकृत किया गया है। इस वर्गीकरण को साप्ताहिक आधार पर संशोधित किया जायेगा।
2. राज्य के जिलों का 3 जोनों में वर्तमान वर्गीकरण परिशिष्ठ 1 में दिया गया है। सूची में किसी भी संशोधन को विधिवत ढंग से सुचित किया जायेगा।

3. रोकथाम जोन (Containment Zones) :

रोकथाम जोन के अन्तर्गत रेड जोन एवं ऑरेन्ज जोन के जिलों में गृह मंत्रालय की गाईड लाईन में वर्णित प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू किया जायेगा। चिकित्सा आपात स्थिति और आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति बनाये रखने के अलावा इन जोन्स के अन्दर या उसके बाहर आबादी का आवागमन नहीं हो रहा है, सुनिश्चित करने हेतु सख्त परिधि नियंत्रण लागू होगा।

हॉट स्पॉट तथा क्लस्टर्स के कन्टेन्मेन्ट एरिया / कर्फ्यू क्षेत्रों में किसी प्रकार की छूट लागू नहीं हागी।

डी. संशोधित लॉकडाउन के दौरान अनुमति / पास (मई 4, 2020 से मई 17, 2020) :

(i) “अनुमत श्रेणी के सभी कार्यालय, दुकानें, प्रतिष्ठान, सेवाएं एवं अन्य गतिविधियां आदि पृथक से अनुमति की आवश्यकता के बिना (जब तक कि विशिष्ट तौर पर उल्लेख नहीं हो) निम्न शर्तों के अधीन खुली रहेंगी :

- (1) ऐसी सभी इकाईयां आदि यह सुनिश्चित करेंगी कि उनके द्वारा निर्दिष्ट मूलभूत ऐहतियाती उपायों की अनुपालना की जायेगी।
- (2) जिला प्रशासन / विभाग या स्थानीय निकायों के कार्मिक यह सुनिश्चित करेंगे कि इन मापदण्डों / सावधानियों की पालना की जा रही है।
- (3) यह पाये जाने पर कि कोई इकाई शर्तों कि पालना नहीं कर रही है को, बन्द कर दिया जायेगा और दण्डनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (4) कोई भी दुकान फैक्ट्री प्रतिष्ठान जो कि अनुमत श्रेणी में नहीं हैं और लॉकडाउन के जारी किये गये आदेशों की उलंघना में खुली पायी जाती हैं, के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

- (5) ऐसी ईकाई जिसके बारे में “अनुमत” श्रेणी में उल्लेख है या नहीं स्पष्ट नहीं है के बारे में जिला प्रशासन से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जावेगा। कारखाने के प्रकरण में उद्योग विभाग से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जायेगा।
- (ii) निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यक्तियों या वाहनों के आवागमन के लिये पास की आवश्यता नहीं होगी:
- (1) व्यक्तियों या वाहनों का आवागमन मात्र इन गाईड लाईन्स / आपात स्थिति के लिये अनुमत गतिविधियों के लिये ही है।
 - (2) प्रति वाहन यात्री / सवारों की संख्या इन दिशानिर्देशों में संबंधित जोन के लिये अनुमत है।
 - (3) संबंधित क्षेत्र के लिये वाहन की अनुमति है।
 - (4) संशोधित लॉकडाउन की शर्तों की उलंघना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध वाहन को जब्त करने सहित, सख्त कार्यवाही की जायेगी।
- (iii) दिनांक 15 अप्रैल, 2020 के आदेश में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन किसी ट्रक या अन्य सामान और मालवाहक वाहन जो सामान के साथ या खाली हो, का आवागमन केवल मात्र लॉकडाउन प्रतिबंधों के कारण पुलिस द्वारा नहीं रोका जायेगा।

ई. संशोधित लॉकडाउन के दौरान अनुमत गतिविधियां (Permitted Activities during Modified Lockdown) (मई 4, 2020 से मई 17, 2020) :

I- रेड जोन (रोकथाम जोन / कर्फ्यू क्षेत्र के अलावा) : अनुमत गतिविधियां : (Permitted Activities) :

यह गृह विभाग, राजस्थान सरकार के समसंख्यक आदेश दिनांक 15 अप्रैल, 2020 तथा 19 अप्रैल, 2020 एवं 25 अप्रैल, 2020 के प्रथम एवं द्वितीय संशोधन द्वारा अनुमत गतिविधियों एवं इनके संबंध में जारी किये गये स्पष्टीकरण की निरंतरता में है :

1. औद्योगिक गतिविधियां (Industrial Activities) :

i- शहरी क्षेत्र :

15 अप्रैल 2020 के आदेश में विशिष्ट रूप से उल्लेखित ईकाईयों के अतिरिक्त निम्नलिखित ईकाईयों को भी अनुमति दी जाती है :

- a- विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs), निर्यातोनुखी ईकाईयां (EOUs), औद्योगिक सम्पदा और टाउनशिप (रीको / निजी) पहुंच नियंत्रण के साथ।
- b- उत्पादन ईकाईयां जिन्हें निरन्तर प्रक्रिया और उनकी आपूर्ति श्रंखला की आवश्यकता होती है
- c. पैकेजिंग सामग्री बनाने वाली सभी ईकाईयां।

ii- ग्रामीण क्षेत्र

सभी औद्योगिकी गतिविधियों को अनुमति है।

इस आदेश से उद्योग विभाग द्वारा दिनांक 19 अप्रैल, 2020 को जारी की गयी गाईड लाईन्स अधिकमित होंगी।

रीको / जिला उद्योग केन्द्र तथा श्रम विभाग के अधिकारी जब कभी भी आवश्यक समझा जावे तब कारखाना परिसरों का निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिये करेंगे कि उद्योग अनुमत श्रेणी में है तथा सुरक्षा सावधानियों की विधिवत तरीके से अनुपालना की जा रही है। कोई भी उल्लंघन पाये जाने पर इसकी सूचना तत्काल निकटतम इन्सीडेन्ट कमाण्डर (कार्यपालक मजिस्ट्रेट) को इन गाईड लाईन्स में प्रावधित अग्रिम आवश्यक कानूनी कार्यवाही के लिये दी जायेगी।

2. निर्माण गतिविधियां (Construction Activities) :

i- शहरी क्षेत्र :

दिनांक 15 अप्रैल 2020 के आदेश के अनुसार।

ii- ग्रामीण क्षेत्र :

सभी निर्माण गतिविधियों की अनुमति है।

श्रमिकों के अन्तर जिला परिवहन के लिये जिस जिले में निर्माण कार्य स्थित है, उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ठेकेदार के नाम पर विशेष परमिट जारी किया जायेगा और यह श्रमिकों के एकत्रित करने के उद्गम स्थान से लेकर निर्माण स्थल तक ले जाने के सम्पूर्ण मार्ग के लिये अधिकृत होगा।

3. दुकानें (SHOPS):

दिनांक 15 अप्रैल, 2020 को जारी आदेश तथा दिनांक 19 व 25 अप्रैल, 2020 को जारी किये गये संशोधन आदेशों के अनुसार।

नाई की दुकान, स्पा एवं सैलून को खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है।

4. कार्यालय इत्यादि (Office etc.)

i- सरकारी कार्यालय (राज्य / भारत सरकार)

राज्य सरकार – दिनांक 15 अप्रैल 2020 के आदेश के अनुसार

भारत सरकार – गृह मंत्रालय की दिनांक 1 मई 2020 को जारी की गयी गाईड लाईन्स के अनुसार।

ii- निजी (Private)

दिनांक 15 अप्रैल 2020 तथा 19 अप्रैल 2020 के आदेशों द्वारा अनुमत की गयी निजी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के अतिरिक्त सभी निजी कार्यालय आवश्यकता अनुसार 33 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे, शेष व्यक्ति वर्क फोम हॉम की स्थिति में रहेंगे।

5. व्यक्तियों एवं परिवहन का आवागमन

i- पार्ट ए (1) और (2) (i to v) में सूचीबद्ध सीमित सार्वजनिक परिवहन के अतिरिक्त निम्नलिखित परिवहन की अनुमति नहीं होगी :

- a साईकिल रिक्शा और ऑटो रिक्शा
- b टैक्सी एवं कैब संचालक (ओला, उबर आदि)
- c बसों का जिले के भीतर एवं अन्तर जिला अवागमन

ii जारी की गयी गाईड लाईन्स / आपात स्थिति में अनुमत गतिविधियों के लिये व्यक्तियों / वाहनों का आवागमन अनुमत है। ऐसे प्रकरणों में निम्नलिखित प्रतिबंध लागू होंगे :

- a चार पहिया वाहन – वाहन चालक एवं अधिकतम दो सवारियां
- b दो पहिया वाहन – मात्र एक (सवार), पीछे की सीट पर कोई सवारी नहीं

II ऑरेंज जोन (Orange Zone) (रोकथाम जोन एवं कर्फ्यू क्षेत्र के बाहर)

रेड जोन के लिये अनुमत सभी प्रकार की गतिविधियों ऑरेंज जोन के लिये भी अनुमत होंगी।

व्यक्तियों एवं परिवहन का आवागमन

i पार्ट ए (1) और (2) (i) से (v) में सूचीबद्ध सीमित सार्वजनिक परिवहन के अतिरिक्त निम्नलिखित परिवहन की अनुमति नहीं होगी :

- a. बसों का जिले के भीतर एवं अन्तर जिला अवागमन

ii जारी की गयी गाईड लाईन्स / आपात स्थिति में अनुमत गतिविधियों के लिये व्यक्तियों / वाहनों का आवागमन अनुमत है। ऐसे प्रकरणों में निम्नलिखित प्रतिबंध लागू होंगे :

- a. चार पहिया वाहन – वाहन चालक एवं अधिकतम दो सवारियां
- b टैक्सी एवं कैब संचालक (ओला / उबर आदि) – उपरोक्तानुसार
- c. ऑटो रिक्शा/साईकल रिक्शा – चालक एवं एक सवारी
- d. दो पहिया वाहन – मात्र एक (सवार), पीछे की सीट पर कोई सवारी नहीं

III ग्रीन जोन (Green Zone)

इस आदेश के पार्ट ए में निषिद्ध गतिविधियों के अतिरिक्त सभी गतिविधियां ग्रीन जोन में अनुमत हैं।

इस आदेश के पार्ट बी में वर्णित सभी सामान्य सावधानियां, सभी व्यक्तियों और कार्य स्थल के प्रभारियों पर आज्ञापक रूप से लागू होंगी।

व्यक्तियों एवं परिवहन का आवागमन

- a बसें – बैठने की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ
- बस डिपो – 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगे।
- b चार पहिया वाहन – वाहन चालक तथा अधिकतम 3 सवारियां
- c ऑटो रिक्शा / साईकल – चालक एवं दो व्यक्ति
- d दो पहिया – अधिकतम दो

F अवशिष्ट (Residual)

अन्य सभी गतिविधियां / प्रतिष्ठान आदि जो उपर वर्णित नहीं हैं परन्तु दिनांक 15 अप्रैल, 2020 के क्रियान्वयन आदेश एवं दिनांक 19 व 25 अप्रैल, 2020 के संशोधन आदेशों में विशिष्ट रूप से वर्णित हैं, लॉकडाउन की शेष अवधि के लिये “अनुमत गतिविधियां” होंगी।


G कार्यान्वयन मशीनरी :

समसंख्यक आदेश दिनांक 26 मार्च 2020 में वर्णित कार्यान्वयन मशीनरी के अनुरूप होगी।

H गृह मंत्रालय की मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs by MHA)

गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गयी निम्नांकित मानक संचालन प्रक्रिया निरन्तर संचालित रहेंगी :

- i दिनांक 2 अप्रैल 2020 को जारी आदेश के अनुसार भारत में विदेशी नागरिकों के लिये पारगमन व्यवस्था और क्वारंटीन व्यक्तियों की रिहाई से संबंधित एसओपी।
- ii दिनांक 19 अप्रैल 2020 द्वारा राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर फंसे हुए श्रमिकों के आवागमन के लिये जारी की गयी एसओपी।
- iii दिनांक 19 अप्रैल 2020 द्वारा फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों, श्रद्धालुओं, पर्यटकों, विधार्थियों व अन्य व्यक्तियों के आवागमन के लिये जारी एसओपी।
- iv 1 मई 2020 को द्वारा फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों, श्रद्धालुओं, पर्यटकों, विधार्थियों व अन्य व्यक्तियों के रेल के द्वारा आवागमन के लिये जारी एसओपी।



(राजीव स्वरूप)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा
4. विशिष्ट सहायक, उप मुख्यमंत्री महोदय
5. विशिष्ट सहायक/निजी सहायक, सभी माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
8. महानिदेशक जेल/होमगार्ड
9. सभी विभागाध्यक्ष
10. समस्त संभागीय आयुक्त।
11. महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, राजस्थान।
12. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
13. समस्त जिला कलक्टर्स एवं जिला मजिस्ट्रेट, समस्त जिला स्तरीय, जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों को इस आदेश की प्रति उपलब्ध करायें।
14. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त, जयपुर / जोधपुर
15. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
16. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / जिला परिवहन अधिकारी।
17. उप सचिव, मुख्य सचिव।
18. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।

Sameer
(पी.सी.बरवाल)
विशिष्ट शासन सचिव, गृह

झुझुनू

हनुमानगढ़

भीलवाड़ा

सवाईमाधोपुर

चित्तौड़गढ़

दूंगरपुर

उदयपुर

धौलपुर